दिनांक	टी०ए० मिस केस सं० 72/2019-20 आदेश	अभ्युक्ति
03.08.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता सिकुर सावैयाँ, पिता– स्व० गोसा सावैयाँ, निवासी ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– गितिलपी, थाना नं०– 580 के अन्दर खाता नं०– 83, प्लॉट नं०– 02, रकवा– 0.05 एकड़ भूमि क्रेता मालती लता जारिका, पिता– कुंज बिहारी जारिका, ग्राम– केन्दुलोटा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि हालसर्वे खतियान में आवेदक के दादा एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। दादा एवं पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की प्राप्त भूमि है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 482, दिनांक– 16.07.19 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता मालती लता जारिका, पिता– कुंज बिहारी जारिका, ग्राम– केन्दुलोटा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास 2,22,500.00/– (दो लाख बाईस हजार पांच सौ रूपये) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता सिकुर सावैयाँ, पिता– स्व० गोसा सावैयाँ, निवासी ग्राम– गितिलपी, थाना– मुफ्फसिल, क्रेता मालती लता जारिका, पिता– कुंज बिहारी जारिका, ग्राम– केन्दुलोटा, थाना– मुफ्फसिल चाईबासा के पास जमीन को कुल 2,22,500.00/– (दो लाख बाईस हजार पांच सौ रूपये) में मौजा– गितिलपी, थाना नं०– 580 के अन्दर खाता नं०– 83, प्लॉट नं०– 02, रकवा– 0.05 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित 3/8 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 3/8/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	